न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 12 / 2023 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
सुरेश कुमावत पुत्र लखाराम जाति कुमावत, निवासी मणिहारी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. सरूपाराम पुत्र लखाराम 2. सवाईराम पुत्र लखाराम 3. कलाराम पुत्र लखाराम 4. जोगाराम पुत्र लखाराम 5. धन्नीदेवी पत्नी लखाराम 6. नरसींगा पुत्र गोडा फौत के कायम मुकाम 6.1 वीराराम पुत्र नरसींगाराम 6.2 पदमाराम पुत्र नरसींगाराम 6.3 अउकारराम पुत्र नरसींगाराम 6.4 नागेश कुमार पुत्र नरसीगाराम 6.5 छगनीदेवी पत्नी नरसींगाराम 7. ताराराम पुत्र फजूराम 8. लाभूराम पुत्र फजूराम जाति कुमावत, निवासी मणिहारी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 9. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – देवीलाल कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादीगण – बालाराम गोदारा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 10.02.2023

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 2.2662 हैक्टेयर मौजा भैरूपुरा, तहसील शिव में अवस्थित है। उक्त आराजी में वादी का नाम सवाईराम दर्ज है। उक्त नाम पुराने समय में बोलचाल के कारण एवं वादी के एक भाई का नाम पूर्व में ही सवाईराम होते हुए भी वादी के पिता के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में दो नाम सवाईराम दर्ज कर दिये गये, जबकि वादी का सही नाम सवाईराम न होकर सुरेश कुमावत पुत्र लखाराम है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में उसका सही एवं वास्तविक नाम सुरेश कुमावत पुत्र लखाराम दर्ज है। वादी द्वारा अपने वास्तविक नाम हेतु राजस्थान गजट नोटिफिकेशन भी जारी करवाया हुआ है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में सवाईराम पुत्र लखाराम के स्थान पर सुरेश कुमावत पुत्र लखाराम नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.22 12:49:23 IST
Reason: SelfAttested

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] से 8 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वाद के समस्त तथ्यों की ताईद करते हुए ईकबालिया [illegible] पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार शिव द्वारा जवाब प्रस्तुत [illegible] करते हुए वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड में वादी का नाम सवाईराम पुत्र लखाराम के स्थान पर सुरेश कुमावत पुत्र लखाराम किया जाना उचित बताया गया है।

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी द्वारा अपना वास्तविक नाम सुरेश कुमावत पुत्र लखाराम होने के समर्थन

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है तथा गजट नोटिफिकेशन भी प्रस्तुत किया है।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम सवाईराम पुत्र लखाराम के स्थान पर सुरेश कुमावत पुत्र लखाराम होना घोषित करते हुए तथा एक सवाईराम का नाम रेकर्ड में यथावत रखते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा भी वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए वादी का नाम सवाईराम पुत्र लखाराम के स्थान पर सुरेश कुमावत पुत्र लखाराम घोषित करने में प्रतिवादीगण की ओर से सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रिकार्ड में दो नाम सवाईराम पुत्र लखाराम दर्ज है, जिसमें वादी का एक नाम सवाईराम पुत्र लखाराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि में वादी का नाम सुरेश कुमावत पुत्र लखाराम दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र व अन्य शपथ पत्र से भी वादी का नाम सवाईराम पुत्र लखाराम के स्थान पर सुरेश कुमावत पुत्र लखाराम किया जाना साबित है। वादी द्वारा अपने नाम दुरस्ती हेतु गजट नोटिफिकेशन भी जारी करवाया हुआ है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में एक सवाईराम पुत्र लखाराम नाम यथावत रखते हुए वादी का नाम सवाईराम पुत्र लखाराम के स्थान पर सुरेश उर्फ सवाईराम पुत्र लखाराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा भैरूपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 291 रकबा 2.2662 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए एक सवाईराम में वादी का नाम सवाईराम पुत्र लखाराम के स्थान पर सुरेश उर्फ सवाईराम पुत्र लखाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 10.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Maha
Jodha
Date: 2023.02.22 12:49:
Reason: SelfAttested